राजस्व वाद 293/2021
जीसीएमएस नंबर–2021/547
दुर्गाराम बनाम संतोष

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 293/2021

वादीगण–
1. दुर्गाराम पुत्र नेमाराम जाति–मेघवाल निवासी–फरड़ोद, तहसील–जायल, नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –
1. संतोष पत्नी ओमप्रकाश जाति मेघवाल, निवासी–फिरोजपुरा, तहसील–जायल, नागौर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–
1. श्री हनुमानराम मंडा अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही।
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री हनुमानराम मंडा अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही व प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा फरड़ोद के खेत खसरा नं. 1395 रकबा 4.5163 हैक्टेयर भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी दुर्गाराम के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा फरड़ोद तहसील जायल के खेत खसरा नं. 1395 रकबा 4.5163 हैक्टेयर में से 2.25815 हैक्टेयर पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. प्रतिवादी संतोष के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा फरड़ोद तहसील जायल के खेत खसरा नं. 1395 रकबा 4.5163 हैक्टेयर में से 2.25815 हैक्टेयर पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. तहसीलदार जायल से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव निर्णय एवं डिकी का अभिन्न भाग रहेगा।
4. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।(रहन होने पर)।

निर्णय आज दिनांक 22/9/22 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:29:18 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)